



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273707  
CG-DL-E-22062026-273707

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3147]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3147]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3273(अ).—केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, जहां तक उनका संबंध नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) के संबंध में, उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्यांक 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. जेड.28013/110/2025-एमएस]

गुलाम मुस्तफा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2026

**S.O. 3273(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date on which the provisions of the said Act, in so far as they relate to serial number 67 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010) shall come into force.

[F. No. Z.28013/110/2025-MS]

GHULAM MUSTAFA, Jt. Secy.